

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4495
19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत खाली पड़े मकान

4495.श्रीमती बाग मिताली:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गई है;
- (ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 2025 तक पीएमएवाई-यू के तहत कुल स्वीकृत मकानों में से पूर्ण किए गए और खाली पड़े मकानों का घटक-वार प्रतिशत कितना है; और
- (ग) विशेष रूप से पीएमएवाई-यू के यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास और किफायती आवास घटक के तहत बड़ी संख्या में मकानों के खाली रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है। निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए पीएमएवाई-यू की इस योजना अवधि को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण करने, खरीदने और किराए पर लेने हेतु देश भर

के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 13.67 लाख आवासों सहित कुल 125.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से, 116.57 लाख (93%) आवासों की नींव रखी जा चुकी है। जिनमें से 97.30 लाख (83%) पूरे हो चुके हैं और दिनांक 02.03.2026 तक 94.83 लाख आवासों (97%) में लाभार्थी रह रहे हैं। स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे जा चुके आवासों का घटक-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ आवधिक आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान पूरे हो चुके आवासों पर कब्जा न लिए जाना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। पीएमएवाई-यू के 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक में कब्जा न लिए जाने के कारणों में पानी, सड़क और बिजली जैसा अपूर्ण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा आजीविका और सामाजिक नेटवर्क से प्रवास या स्थानांतरण की अनिच्छा, लाभार्थी हिस्से में योगदान करने में वित्तीय बाधाएं, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दस्तावेजों और आवंटन में देरी शामिल हैं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सिविल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के तहत आवासों पर कब्जे दिए जाने की स्थिति में सुधार करें। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

दिनांक 19-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4495 के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत, निर्माण कार्य शुरू किए गए, पूर्ण और सौंपे
जा चुके आवासों का घटक-वार विवरण

घटक	आवासों का विवरण (संख्या)			
	स्वीकृत	निर्माण कार्य शुरू किया गया	पूर्ण	सौंपे गए
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	80,73,499	70,89,302	55,32,922	55,32,922
साझेदारी में किफायती आवास/ किफायती किराया आवास (एएचपी/एआरएच)	15,68,826	12,96,958	10,06,961	6,43,935
‘स्व-स्थाने’ स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	2,84,366	2,81,340	2,60,189	2,27,311
ऋण-संबंध सब्सिडी योजना/ ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस/आईएसएस)	25,88,322	25,88,322	25,88,322	25,88,322
कुल	125.15 लाख	116.57 लाख*	97.30 लाख*	94.83 लाख*

* पीएमएवाई-यू की मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम की पूर्व योजना के पूर्ण (3.42 लाख),
सौंपे गए (4.91 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।
